संख्या-125/XIV-1/2005

प्रेषक,

नवीन चन्द्र शर्मा,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन.

सेवा में,

अध्यक्ष,
सहकारी न्यायाधिकरण,
उत्तरॉचल देहरादून.

सहकारिता अनुभाग: देहरादून: दिनॉक 24 मार्च, 2005

विषय:- वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु सहकारी न्यायाधिकरण की आयोजनेत्तर पक्ष में विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग की वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 117/सह.न्या./2004-05 दिनांक 10.3.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में मानक मद 16 व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए रूपये 52200.00 एवं मानक मद-27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में रूपये 10000.00 अर्थात कुल रूपये 62200.00 (रूपये बासठ हजार दो सौ मात्र) संलग्न पुनर्विनियोग की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है.

2. उक्त व्यय को करते समय मितव्ययता के विषय में निर्गत आदेशों, बजट मैनुअल एवं समय-समय पर जारी तद्विषयक आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा.

3. व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा.

4. धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाय.

5. व्यय की सूचना प्रपत्र बी.एम.-13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय.

6. इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 मे अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2425-सहकारिता-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-

↓

05-सहकारिता न्यायाधिकरण-00-16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान एवं 27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामें डाला जायेगा. जिसे संलग्न पुनर्विनियोग के कॉलम-1 की बचतों से वहन किया जायेगा.

7. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या 1225 दिनॉक 23 मार्च,2005 में प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे है.

भवदीय,

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव.

संख्या-125 (1)/ XIV-1 /तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल,
2. वित्त विभाग-2 उत्तरांचल शासन.
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून.
4. अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल अल्मोड़ा.
5. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून.
6. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव.

प्रपत्र बी0एम0-15 (पैरा-158)

नियंत्रक अधिकारी- सचिव, उत्तरांचल शासन, प्रशासनिक विभाग-सहकारिता विभाग, उत्तरांचल शासन, अनुदान संख्या-18 (धन0 हजार रू0में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है.	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ-4 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2425-सहकारिता आयोजनेत्तर 001-निदेशन तथा प्रशासन -00- 05-सहकारी न्यायाधिकरण				2425-सहकारिता आयोजनेत्तर 001-निदेशन तथा प्रशासन 00-05-सहकारी न्यायाधिकरण 16-व्यासायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान-52.20	77.20		प्रकाशन एवं प्रशिक्षण में कोई व्यय न किए जाने के कारण बचत. व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति मद मे आवश्यकता.
18-प्रकाशन -50	-	-	50.00	27- चिकित्सा व्यय			
44- प्रशिक्षण व्यय-50	-	-	50.00	प्रतिपूर्ति 10.00	20.00	37.80	
योग:- 100.00	-	-	100.00	62.20	97.20	37.80	-

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है.

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

विधान [illegible] द्वितीय [illegible] त्र 2005 [illegible] सोमवार [illegible] श्री किशोर उपाध्याय, मा0 सदस्य विधान सभा [illegible] पूछे गये [illegible] ांकित प्रश्न [illegible] संख्या–69 का उत्तर।

प्रश्न

क्या गन्ना म [illegible] ताने का [illegible] करेंगे कि गन्ना वि [illegible] का विभिन्न चीनी मिलों पर चा [illegible] राई [illegible] क कितना धन बकाया [illegible] बकाया [illegible] भुगतान कब तक सु [illegible] त कर दिया जायेगा?

उत्तर

किसान [illegible] भिन्न चीनी मिलों पर चालू पेराई सत्र [illegible] में दिनांक 22.3.2005 [illegible] रे गये [illegible] गन्ना मूल्य के रू [illegible] 5271 [illegible] रू0 भुगतान किया जाना [illegible]

[illegible] शेष गन्ना मूल्य के शीघ्र भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं।

नारायण दत्त तिवारी
मुख्यमंत्री।